2019/00262

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 146/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. नन्दलाल पुत्र कजोड
2. बंशी देवी पत्नी मन्नालाल

समस्त जाति यादव, निवासी ग्राम लखेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति मनीषा लेघा आरएएस सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)आमेर
2. विकास सर्राफ पुत्र योगेन्द्र कुमार सर्राफ
3. श्रीमती पूजा सर्राफ पत्नी श्री प्रकाश सर्राफ

जाति महाजन निवासी 717, खण्डेलवाल टॉवर, अम्बाबाडी, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2014 ब उनवानी विकास सर्राफ व अन्य बनाम सुणी देवी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री बनवारी शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री ओम प्रकाश अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय दिनांक 21-10-2019

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 06/2014 ब उनवानी विकास सर्राफ व अन्य बनाम सुणी देवी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थीगण की तरफ से एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का प्रस्तुत किया गया है जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज फरमा दिया । जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प में बिना किसी पक्षकारान की उपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया था कि अपीलान्ट को जबाबदेही का अवसर प्रदत्त किया जावे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रियाओं का दुरूपयोग करते हुये अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को लाभ पहुंचाने की गरज से निर्णय पारित कर दिया । अप्रार्थीगण की राजनैतिक पहुंच बहुत है व धन बल में भी प्रार्थीगण से अधिक है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जेशुदा भूमि से उन्हें बेदखल करना चाहता है इस बाबत प्रार्थीगण ने कई मर्तबा अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को उनकी भूमि से बेदखल करना चाहता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थीगण के प्रभाव में है तथ राजनैतिक दबाव में भी है। इसलिए प्रार्थीगण को पूर्ण अन्देशा है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थीगण को न्याय प्रदान नहीं करेगें इसलिए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय से अन्यत्र

जिला कलक्टर
जयपुर

स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ओम प्रकाश अधिवक्ता ने उपस्थित हो कर अण्डर टेंकिग पेश की ।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. यद्यपि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित आरापों का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थीगण ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर की पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य समकक्ष न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। जयपुर मुख्यालय पर सहायक कलक्टर आमेर का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को स्थानान्तरित किया जा सकता है। इससे किसी पक्षकार को असुविधा भी नहीं होगी। फलस्वरूपः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

5. न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2014 ब उनवानी विकास सर्राफ बनाम सूणी देवी व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर में मुन्तकिल किया जाता है।

6. सहायक कलक्टर आमेर उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर यथा संभव तीन माह में प्रकरण का निस्तारण करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर एवं सहायक कलक्टर आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

7. निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर